

② Recognition Certificate



# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला-दुर्ग (छ.ग.)

## विद्यालय मान्यता प्रमाण-पत्र

दिनांक - ०१/०५/२०२३ से ३१/०३/२०२६ तक

M. P. Singh


Principal

BNS Eng. Med. Jr. Sec. School  
Sector-2 Bhilai, Durg (C.G.)

Social Studies

Social Interaction

Music



Language Arts



Bhank  
General Secretary  
Bhilai Nair C  
Sector-2, Bhilai (C.G.)



Music

## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक / १५४६ / मात्रता / २०

दुर्ग, दिनांक २१.८.५. २३

प्रति,

प्रबंधक, मिलाई नायर समाजिम  
से.०४ मिलाई

**विषय :** निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रायोजन के लिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मात्र्यता प्रसारण-पत्र।

## महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख ०२/११/२०२२ के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरांत मैं **मिशन बोर्ड ऑफ़ एज्युकेशन सेक्यूरिटी** (विद्यालय का नाम पता सहित) को तारीख ..०१/०५/२०२३.. से ....०१/०३/२०२६.. तक तीन वर्षों की अवधि के लिए कक्षा **नृसिंह** से **०४वीं** तक माध्यम ...**अंग्रेजी**... के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं।

उपरोक्त स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों के पुरा किये जाने के अध्याधीन हैः-

- मान्यता की स्वीकृत विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता / संबद्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
  - विद्यालय, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 (परिशिष्ट-दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
  - विद्यालय, कक्षा एक में (या यथास्थिति नसरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के .....25.... प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परंतु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
  - पैरा 03 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालयों को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

एक

“*It is the first time I have seen a man who has been to the moon*,” he said.

**तीन** प्राथमिक शिक्षा परी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोई पश्चिम उच्चिर्ण करने की आवश्यकता

**चौर प्रथमिक शिक्षा परीक्षार्थी वाले प्रोफेसर्स ने दिया १५ के अधीन अधीन अधीन**

प्रदान किया जायेगा।

**पांच** अधिनियम के उपबंधो 'च' के अनुसार निःशक्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

~~2 Padrass~~

छ: अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परंतु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।

सात अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और

आठ अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलायों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

: ..... 117401:66 वर्ग किलोमीटर

कुल निर्मित का क्षेत्रफल

: ..... 1120:77 वर्ग किलोमीटर

खेल के मैदान का क्षेत्रफल

: ..... 1675 वर्ग किलोमीटर

कक्षाओं की संख्या

: ..... 22 उमरे 701 छात्र

प्रधानपाठक सह-कार्यालय सह-भण्डार के लिए कक्ष

: ..... 71

बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

: ..... 24+23

पेयजल सुविधा

: ..... है 05 पार्श्व

मध्याह्न भोजन पकाने हेतु रसोई

: ..... 7

बाधारहित पहुँच

: ..... 7

अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूल के उपस्कारों / पुस्तकालय की उपलब्धता :

9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

11. विद्यालय की सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तस्मय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकस्थान द्वारा चलाया जा रहा है।

12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक 102/21/02... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर आपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाएं।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाए।

17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।

M Pathay  
Principal

B.N.C. High Sec. School  
Bilai Nal Durg (C.G.)



General Secretary  
Bilai Nal Durg  
Sector-8, Bilai (C.G.)

Ajimawal  
जिला शिक्षा अधिकारी  
दुर्ग